









विधिमान्य और प्रतिक्षेपित
मतपत्रों के
सचित्र दृष्टान्त
(पंच/सरपंच/पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्यों
के निर्वाचन के लिये, मतपेटी से चुनाव होने पर)

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

टिप्पणी

रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना के समय मागदर्शन हेतु विधिमान्य और प्रतिक्षेपित (**Rejected**) मतपत्रों के सचित्र दृष्टान्त इस पुस्तिका में दर्शाये गये हैं। रिटर्निंग अधिकारियों अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी अथवा गणन दलों द्वारा मतपत्रों की समीक्षा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49 एवं 50, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार की जावेगी। आयोग द्वारा मतों की गणना हेतु विस्तृत निर्देश अलग से जारी किये गये हैं। समस्त प्रकार के विधिमान्य और प्रतिक्षेपित चिन्हों के नमूनों के सजीव दृष्ट रूप दर्शाया जाना संभव नहीं है। इस पुस्तिका में जो नमूने दिये गये हैं वे सर्वांगीण नहीं है, ये केवल मार्गदर्शन हेतु सचित्र दृष्टान्त हैं। आशा है यह पुस्तिका मतगणना हेतु उपयोगी रहेगी।







वैध मतपत्र—उदाहरण—1
(अभ्यर्थी—1 के लिए मान्य)

| | |
|---|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि./ 20..... | |
| No.0659562 | |
| दीपक कुमार |   |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |   |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यह मतपत्र प्रारम्भ में गणना दल द्वारा संदेहपूर्ण (Doubtful) मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और रिटर्निंग अधिकारी की जाँच में वैध स्वीकार किया जायेगा, क्योंकि अभ्यर्थी—1 के कॉलम में मोहर का निशान है और अन्यत्र स्याही का धब्बा है।

वैध मतपत्र-उदाहरण-2





(अभ्यर्थी-1 के लिए मान्य)

| | |
|---------------------------|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... | |
| सा. नि./ 20..... | |
| No.0659563 | |
| दीपक कुमार |   |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |   |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यह मतपत्र प्रारम्भ में गणना दल द्वारा संदेहपूर्ण (Doubtful) मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और रिटर्निंग अधिकारी की जाँच में वैध स्वीकार किया जायेगा, क्योंकि मूल निशान जो कि घड़ी की उल्टी दिशा (Anti Clock Wise) में होता है, वह अभ्यर्थी-1 के कॉलम में है तथा गलत तरीके से मतपत्र को मोड़ने पर मूल निशान का इम्प्रेशन अभ्यर्थी-3 के कॉलम में दिख रहा है।

वैध मतपत्र-उदाहरण-3






(अभ्यर्थी-2 के लिए मान्य)

| | |
|--|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | |
| No.0659564 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यह अभ्यर्थी-2 के कॉलम में स्पष्ट निशान है व एक निशान का अधिकांश भाग छायांकित क्षेत्र में है। यह मतपत्र स्वयं गणन दल द्वारा वैध स्वीकार किया जायेगा।

वैध मतपत्र-उदाहरण-4





(अभ्यर्थी-3 के लिए मान्य)

| | |
|---|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि./ 20..... | |
| No.0659565 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
|  | |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यह अभ्यर्थी-3 के कॉलम में स्पष्ट निशान का कुछ हिस्सा है व एक निशान का काफी हिस्सा छायांकित क्षेत्र में है। यह मतपत्र स्वयं गणना दल द्वारा वैध स्वीकार कर लिया जायेगा।

वैध मतपत्र-उदाहरण-5






(अभ्यर्थी-1 के लिए मान्य)

| | |
|---------------------------|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... | |
| सा. नि./ 20..... | |
| No.0659566 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यह अभ्यर्थी-1 के कॉलम में एक से अधिक निशान है। यह मतपत्र स्वयं गणना दल द्वारा वैध स्वीकार कर लिया जायेगा।

वैध मतपत्र—उदाहरण—6





(अभ्यर्थी—1 के लिए मान्य)

| | |
|---|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि./ 20..... | |
| No.0659567 | |
| दीपक कुमार |   |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यह अभ्यर्थी—1 के कॉलम में स्पष्ट निशान है। यह मतपत्र स्वयं गणना दल द्वारा वैध स्वीकार कर लिया जायेगा।





वैध मतपत्र-उदाहरण-7

(अभ्यर्थी-1 के लिए मान्य)

| | |
|---|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि./ 20..... | |
| No.0659568 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यह अभ्यर्थी-1 के कॉलम में हल्का निशान है। अतः यह मतपत्र अभ्यर्थी-1 के पक्ष में स्वयं गणन दल द्वारा वैध स्वीकार कर लिया जायेगा।






अवेध मतपत्र—उदाहरण—1

| | |
|--|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | |
| No.0659569 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यहाँ कोई निशान नहीं है।






मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवेध मतपत्र—उदाहरण—2

| | |
|---------------------------|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... | |
| सा. नि. / 20..... | |
| No.0659570 | |
| दीपक कुमार |   |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |







यहाँ प्रदत्त किये गये उपकरण (Aero Cross Mark Seal) से निशान नहीं लगाया गया है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवेध मतपत्र—उदाहरण—3

| | |
|--|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | |
| No.0659571 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |   |
| इनमें से कोई नहीं |  |







यहाँ प्रदत्त किये गये उपकरण (Aero Cross Mark Seal) से निशान नहीं लगाया गया है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवेध मतपत्र—उदाहरण—4

| | |
|--|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | |
| No.0659572 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
|  | |
| प्रकाश चन्द |  |
|  | |
| इनमें से कोई नहीं |  |







यहाँ रिक्त स्थान में निशान है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवैध मतपत्र—उदाहरण—5

| | | |
|--|---|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | | |
| No.0659573 | | |
| दीपक कुमार |  |  |
| (सरपंच चुनाव) | | |
| मुकेश कुमार | |  |
| प्रकाश चन्द |  |  |
| इनमें से कोई नहीं | |  |





यहाँ एक से अधिक मत दिया गया है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवेध मतपत्र—उदाहरण—6

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| | | पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | |
| No.0659574 | | | |
| दीपक कुमार |  |  | |
| | | (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |  | |
| | | | |
| प्रकाश चन्द | |  | |
| | | | |
| इनमें से कोई नहीं | |  | |





यहाँ “निर्वाचक की पहचान” उसके हस्ताक्षर या नाम से हो जाती है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवेध मतपत्र—उदाहरण—7

| | |
|---|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि./ 20..... | |
| No.0659575 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |





यहाँ निर्वाचक की पहचान निर्वाचक की क्रम संख्या अंकित होने से हो जाती है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवेध मतपत्र—उदाहरण—8

| | |
|--|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | |
| No.0659576 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |







यहाँ “निर्वाचक की पहचान” उसके हस्ताक्षर या नाम से हो जाती है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवेध मतपत्र—उदाहरण—9

| | |
|--|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | |
| No.0659577 | |
| दीपक कुमार |  |
| (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार |  |
| प्रकाश चन्द |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |

यहाँ निशान इस प्रकार लगाये गये हैं, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवैध मतपत्र—उदाहरण—10

| | | |
|--|---|--|
| पंचायत सर्किल का नाम..... सा. नि. / 20..... | | |
| No.0659578 | | |
| दीपक कुमार | |  |
| | (सरपंच चुनाव) | |
| मुकेश कुमार | |  |
| प्रकाश चन्द |  |  |
| इनमें से कोई नहीं |  |  |

यहाँ एक से अधिक मत दिया गया है, एक अभ्यर्थी के पक्ष में और दूसरा नोटा के लिए। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

अवैध मतपत्र—उदाहरण—11



यहाँ मतपत्र के पीछे निशान है। मतपत्र को गणन दल द्वारा संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखा जायेगा और जाँच में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा।

